नियम 58 : न्यायालय कार्य का विनियमन

(1) जब अपील अधिकरण की बैठक हो रही हो,–

(क) उप रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करेगा कि न्यायालय अधिकारी या आशुलिपिक या चपरासी या परिचारक की सेवाएं उपलब्ध कराने में न्यायपीठ को कोई असुविधा या समय की बर्बादी न हो; और

(ख) न्यायालय अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि न्यायालय कक्ष में और उसके आसपास पूर्ण शांति बनी रहे और न्यायपीठ के कामकाज में किसी भी प्रकार की बाधा न आए और न्यायालय की गरिमा और शिष्टाचार बनाए रखने के लिए उचित सावधानी बरती जाए।

(2) जब न्यायपीठ आदेश पारित करे या निर्देश जारी करे, तो न्यायालय अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि मामले के अभिलेख न्यायपीठ की कार्यवाही या आदेशों के साथ उप रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार को तुरंत प्रेषित किए जाएं और उप रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार न्यायालय अधिकारी से प्राप्त मामले के अभिलेखों को वाद सूची के संदर्भ में सत्यापित करेगा और न्यायपीठ के निर्देशों या आदेशों की संप्रेषित करने के लिए तत्काल कदम उठाएगा।